

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

भानाराम पुत्र हटा कौम राईका

बनाम

जोताराम, सोवताराम पुत्र हटा कौम राईका

दावा बाबत - बंटवारा राजकाश 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 80/16

निर्णय

दिनांक :- 22/06/2016

वादी भानाराम पुत्र हटा कौम राईका व प्रतिवादी जोताराम, सोवताराम पुत्र हटा कौम राईका की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22/06/16 को पर्वत सिंह चूण्डावत. (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

भानाराम पुत्र हटा कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम अणेवा पटवार वृत्त लांपी तहसील देसूरी के ख.न 798/1 रकबा 0.55 है. किस्म बा.दो लगान 2.75 व ख.न 798/4 रकबा 0.16 है किस्म बा.दो लगान 0.80 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.71 है. कुल लगान 3.55 एवं जोताराम पुत्र हटा कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम अणेवा पटवार वृत्त लांपी तहसील देसूरी के ख.न 798 रकबा 0.55 है. किस्म बा.दो. लगान 2.75 व ख.न. 798/5 रकबा 0.16 है. किस्म बा.दो. लगान 0.80 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.71 है. कुल लगान 3.55 एवं सोवताराम पुत्र हटा कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम अणेवा पटवार वृत्त लांपी तहसील देसूरी के ख.न. 798/2 रकबा 0.54 है. किस्म बा.दो. लगान 2.70 व ख.न 798/3 रकबा 0.16 है. किस्म बा.दो. लगान 0.80 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.70 है. कुल लगान 3.50 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शों में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 22/06/2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

( पर्वत सिंह चूण्डावत )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

दिनांक-22/06/2016

क्रमांक/शिविर/2016/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर